कार्यालय कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा) जिला बैतूल (म.प्र.)

क्रमांक 68 अ–82/17–18 भू–अर्जन/6978/ बैतूल दिनांक 5.6.2018

ईश्तहार

म.प्र.शासन राजस्व विभाग भोपाल द्वारा जारी क्रय नीति के अन्तर्गत आवेदक विभाग कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग–मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.) द्वारा पारसडोह मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र के प्रभावित व्यक्तियों को बसाहट हेतु भूमि की आवश्यकता होने के कारण ग्राम देवडोगरी प.ह.न. 112 तहसील–मुलताई, जिला बैतूल के निम्नानुसार खसरा नबरों की भूमि आपसी सहमति के आधार पर क्रय करने के प्रस्ताव पेश किए गए हैः–

अ. क्र.	खसरा नं.	रकबा हे.में	आवेदक विभाग द्वारा कय किया जाने वाला रकबा हे. में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	155	3.112	0.200	जुगती पिता कपूरचंद जाति किराड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
2	154/6	2.997	0.650	हेमराज वल्द डोमा जाति किराड़ भूमि स्वामी
3	154/5	3.863	0.160	गोरेलाल वल्द डोमा जाति किराड़ पता सा.देह भूमि स्वामी
4	156/2	1.781	0.300	पंजाबराव वल्द चिन्ध्या जाति किराड़ पता सा.देह भूमि स्वामी
कुल येाग		**11.753**	**1.310**	

अतएव आवेदक विभाग द्वारा ग्राम देवडोगरी तहसील मुलताई की उपरोक्तानुसार खसरा नंबरों की कुल **1.310** हे. भूमि आपसी कय नीति के अन्तर्गत कय करने के सम्बन्ध में किसी भी पक्षकार या किसी व्यक्ति को कोई दावा / आपत्ति हो तो ईश्तहार के प्रकाशन होने की तारीख से 15 दिवस की अवधि में आपत्ति स्वंय या अपने अधिवक्ता या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुलताई के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। नियत समयावधि के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 5-6-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी ।

(शशांक मिश्र)
कलेक्टर
जिला बैतूल (म0प्र0)

कमांक 68 अ–82/17–18 भू–अर्जन/6978 बैतूल दिनांक 5 –06–2018
प्रतिलिपिः–

1– संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त ईश्तहार का प्रकाशन एक प्रदेश स्तर एवं एक स्थानीय स्तर के दैनिक समाचार पत्र में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रति भी भेजने का कष्ट करें।

2– कार्यपालन यंत्री, जल संससाधन संभाग मुलताई जिला बैतूल को प्रकाशन हेतु अग्रेषित ।

3– प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www. betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।

4– प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन भेजने हेतु ।

5– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।

6– तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति कय की जाने वाली भूमि के प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।

7– जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित । प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।

8– सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत देवडोंगरी तहसील बैतूल जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर ईश्तहार का उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित ।

कलेक्टर,
बैतूल